आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

11.5.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 83/2014–15

1. मो0 जफीर उद्दीन, पिता–मो0 कदीरउद्दीन
2. मो0 समीर उद्दीन, पिता–मो0 कदीरउद्दीन
3. मो0 असफाक आलम, पिता–मो0 कदीरउद्दीन
4. मो0 अफाक आलम, पिता–मो0 कदीरउद्दीन
5. मो0 अकबर अली, पिता–मो0 कदीरउद्दीन

सभी सा0–कचनहर, टोला–टेकनी, थाना–महलगाँव, पो0–केलाबाड़ी, अंचल–जोकीहाट, जिला–अररिया – आवेदकगण

बनाम

1. मो0 दाउद, पिता–हमीद
2. मो0 करीम, पिता–मो0 सत्तार
3. बीबी मोस्तकीम, पति–मो0 हबीब, सभी सा0–कचनहर, टोला–टेकनी, थाना–महलगाँव, पो0–केलाबाड़ी, अंचल–जोकीहाट, जिला–अररिया
4. गनी मोहम्मद उर्फ मिख्खन, पिता–फेनुल, सा0–मछैला, थाना–महलगाँव, जिला–अररिया
5. अंचल अधिकारी, जोकीहाट

आदेश

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, जोकीहाट के पत्रांक 399, दिनांक 4.6.2013 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के दाखिल विविध वाद सं0 04/2011–12 मो0 जकीरउद्दीन ई0 बनाम मो0 दाउद ई0 में दिनांक 9.3.2013 के पारित आदेश के आलोक में बिहार दाखिल–खारिज नियमावली 2011 के नियम 9(1) के तहत निम्न विवरण की जमीन का जमाबंदी सुधार हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

वादग्रस्त का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
कचनहर	335	65	297 299	1.18 ए0 0.19 ए0 1.37 ए0

न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सूचना दी गई। विपक्षी सूचनोपरांत न्यायालय में अधिवक्ता शक्ति पत्र के साथ उपस्थित हुए किन्तु बार–बार मौका दिये जाने के बावजूद

भी उनकी ओर से न तो अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया गया और न ही सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष ही प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के अनुरोध पर उन्हें सुना गया तथा कार्यालय पत्रांक 163/रा0, दिनांक 28.01.2015 द्वारा वादग्रस्त भूमि में से नामान्तरित कुल रकवा के संबंध में नामान्तरण विवरण एवं संबंधित नामान्तरण अभिलेख की मॉग अंचल अधिकारी, जोकीहाट से की गई। कई स्मारोपरांत अंचलाधिकारी, जोकीहाट के पत्रांक 360, दिनांक 05.07.2016 द्वारा नामान्तरित रकवा का विवरण प्राप्त हुआ, किन्तु संबंधित अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त खाता सं0 65, खेसरा सं0 297, रकवा 1.18 ए0 तथा खेसरा सं0 299, रकवा 19 डी0, कुल रकवा 1.37 ए0 का हाल सर्वे खतियान शेख कमाल वगैरह के नाम से दर्ज है तथा खतियानी रैयत उस जमीन पर दखलकार है। खतियानी रैयत की मृत्युपरांत उनके वारिशानों द्वारा उस जमीन की बिक्री की गई, जिसने मो0 दाउद को निबंधित केवाला द्वारा 35 डी0 दूसरा केवला मो0 करीम को 13 डी0, तीसरा केवाला बीबी मुस्तकीमा को 3 डी0 तथा चौथा केवाला शेख गनी मोहम्मद को 21 डी0 भूमि इस प्रकार कुल 72 डी0 भूमि उपरोक्त दोनों खेसरा से बिक्री कर क्रेता को दखल काबित कर दिया गया। इस प्रकार कुल रकवा 1.37 ए0 में से बिक्री भूमि 72 डी0 घटने के पश्चात् उक्त दोनों खेसरा से मात्र 65 डी0 जमीन बच गयी। उक्त बची हुई 65 डी0 भूमि आवेदकगणों के द्वारा निबंधित दस्तावेज से क्रय कर दखलकार हुए। जिसका नामान्तरण उनके पक्ष में नहीं हो रहा है, क्योंकि पूर्व क्रेतागणों के नाम से खरीदगी भूमि से ज्यादा रकवा का नामान्तरण उनलोगों के नाम से अवैध रूप से हो जाने के कारण जमाबंदी में जमीन शेष नहीं है। अएतव पूर्व के क्रेतागणों के नाम से खरीदगी भूमि के अनुसार जमाबंदी की सुधार करते हुए आवेदकगणों के नाम क्रय रकवा 65 डी0 भूमि का नामान्तरण किये जाने का आदेश अंचलाधिकारी, जोकीहाट को देने का अनुरोध करते है।

विपक्षीगणों की ओर से उपस्थिति उपरांत न तो प्रतिउत्तर दाखिल किया गया और न ही सुनवाई में भाग लिया गया। जिसके कारण उनका पक्ष सुना नहीं जा सका। किन्तु अंचलाधिकारी, जोकीहाट के पत्रांक 360, दिनांक 5.7.2016 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार मौजा–कचनहर, थाना नं0 335 के अंदर खाता 65, खेसरा सं0 360, रकवा 1.10 ए0 खेसरा सं0 297, रकवा 1.18 ए0 एवं खेसरा सं0 299, रकवा 19 डी0, कुल रकवा 2.47 ए0 सर्वे खतियान शेख कमालउद्दीन, पिता–इन्सार अली ई0 के नाम से दर्ज है। जिसका जमाबंदी पंजी–II में जमीन बिक्री उपरांत विभिन्न नामान्तरण वादों द्वारा नामान्तरित होकर खतियानी रैयत के नाम खाता 65, खेसरा 297, 299 एवं 360 से मात्र 0.2¾ ए0 भूमि अवशेष बची हुई है। आवेदक का दावा है कि पूर्व क्रेता को बिक्री रकवा से अधिक रकवा का नामान्तरण होकर जमाबंदी दर्ज है। आवेदन के अर्जी के अनुसार मौजा–कचनहर, थाना नं0 335 के खाता सं0 65 का खतियानी विवरण निम्न

प्रकार है :—

खतियानी कब्जाधारी	खाता	खेसरा	रकवा
मो0 सेराजउद्दीन	65	297 299	1.18 ए0 0.19 ए0 कुल 1.37 ए0
मो0 कमालउद्दीन व कबीर उद्दीन, मो0 हदीसन	65	360	1.10 ए0

मो0 सेराजउद्दीन द्वारा अपने कब्जाधारी की भूमि निम्न प्रकार बिक्री की गई :—

क्र0	क्रेता का नाम	रकवा
1.	मो0 दाउद	35 डी0
2.	मो0 करीम	13 डी0
3.	बीबी मुस्तकीना	03 डी0
4.	गणी मोहम्मद	21 डी0
	कुल	72 डी0

इस प्रकार 1.37 ए0 — 72 डी0 = 65 डी0 शेष बचत रकवा सेराजउद्दीन द्वारा आवेदकगणों के साथ बिक्री की गई। अंचल अधिकारी, जोकीहाट के पत्रांक 360, दिनांक 05.07.2016 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि का आर0एस0 खतियान खाता 65, खेसरा सं0 360, रकवा 1.10 ए0, खेसरा सं0 297, रकवा 1.18 ए0 एवं खेसरा सं0 299, रकवा 0.19 ए0, **कुल 2.47 एकड़ का शेख कमालउद्दीन** ई0, पिता—इन्सार अली ई0 के नाम से आर0एस0 सर्वे दर्ज है। जिनका जमाबंदी भी दर्ज हुआ। पंजी—II के अनुसार वर्त्तमान में जमाबंदी की विवरणी निम्न प्रकार है :—

क्र.	जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	खेसरा	रकवा	नामान्तरण वाद सं0	जमाबंदी सं0
1.	मो0 आजम, पिता—मजीद	65	297	0.50 ए0	1807/72—73	168
2.	मजीद, पिता—शे0 इन्सार	65	360	0.18 ए0	508/74—75	205
3.	बीबी मरीयम, पति—तीनकौड़ी	65	360	0.42 ए0	157/77—78	232
4.	कादीर, पिता—इन्सार अली	65	360	0.18¼ ए0	58/79—80	246
5.	भीखन, पिता—फैजवक्स उर्फ गणी मोहम्मद	65	297	0.21 ए0	877/96—97	309
6.	मो0 सलाम वो करीम व हलीम व ताहा, पिता—सत्तार	65	297	0.13 ए0	795/2000—01	320
7.	दाउद वो महबूब वो मंजूर वो मसूद, वसीम, खलील, पिता—समीदुर्रहमान	65	297 299	0.35 ए0	4025/03—04	330
8.	बीबी मुस्तकीना, पति—हबीब	65	297 299	0.03 ए0	7910/04—05	331
9.	मशरूल वो मरगूब	65	360	0.44 ए0	292/08—09	385
10.	कमालउद्दीन ई0	65	297 299 360	0.02¾ ए0	मूल जमाबंदी रैयत	65
	कुल			2.47 ए0		

उपरोक्त अंचलाधिकारी, जोकीहाट के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि कुल खतियानी रकबा 2.47 ए0 का विधिवत नामान्तरण वादों के तहत दाखिल–खारिज होकर विभिन्न जमाबंदी रैयतों के नाम जमाबंदी दर्ज है, जो बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा 9(i) के तहत जमाबंदी रद्दीकरण के योग्य नहीं है। अतएव आवेदकगणों के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आवेदकगण चाहे तो नामान्तरण वादों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकतें हैं।

पारित आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, जोकीहाट को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह० —
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह० —
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 40 / रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 11 / 05 / 2017
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, जोकीहाट को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

11.5.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

आई० टी० प्रबंधक